न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 30/2026 बउनवानी मोहर सिंह बनाम उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
पुत्र श्री शिवजी लाल गुर्जर निवासी टोटोलाई पोस्ट बूचोलाई तह0 तलावडा

GCMS No-2026/29

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
18.3.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 24.12.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर **''ग्राम टोटोलाई के साबिक ख0न0 28 को विभाजित कर बनाये गये हाल ख0न0 258,259,260,262, 264,270,271 ,272 ,273, 306,309 से संबंधित आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति अथवा आवंटन मिसल जिला अभिलेखागार मे जिस रिकार्ड नम्बर से जमा करवाया गयी है उसकी प्रमाणित प्रति।** ''उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक राजकाज रेफ. 21109608 दिनांक 17.3.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2025 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक /आरटीआई/2026/01 दिनांक 1.2.2026 से लिखा जा चुका है कि दिनांक 22.6.1989 को ग्राम टोटोलाई में किये गये भूमि आवंटन से संबंधित किराई की जमा सूची कुल 2 पृष्ठो की है जिसकी प्रमाणित प्रति के लिए 4/–रू शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकते हो। किन्तु अपीलान्ट द्वारा वांछित शुल्क जमा नही करवाया गया है इसलिए अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.12.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना के लिए अपीलान्ट से चाही गयी शुल्क राशि 4/–रू जमा नहीं करवाया जाने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अपीलान्ट चाहे तो उक्तानुसार वांछित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (कानाराम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	